

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)  
अधिसूचना

सं. 03 /2018-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 of 1962), की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,—

(क) सारणी में—1,—

(i) मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली से संबंधित क्रम सं. 2 को क्रम सं. 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुनः लिखे गए क्रम सं. 1 के समक्ष कॉलम (3) में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(i) आयुक्त सीमा शुल्क (एयर पोर्ट), दिल्ली;

(i क) आयुक्त सीमा शुल्क (सामान्य), दिल्ली;”;

(ii) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (iv) के स्थान पर, कॉलम (3) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(iv) आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात-I), मुम्बई जोन-I;

(iv क) आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात-II), मुम्बई जोन-I; और”;

(iii) क्रम सं. 7 के समक्ष, मद (iv), के पश्चात, कॉलम (3) में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(iv क) आयुक्त, सीमा शुल्क (VI), चेन्नई;”;

(iv) क्रम सं. 11 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

- “(i) आयुक्त, सीमा शुल्क, कोचीन; और  
(ii) आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन”;

(ख) सारणी में-2,—

- (i) क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (3) और (4) में मद (i) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा:—

“(i) आयुक्त, सीमा शुल्क (एयरपोर्ट), दिल्ली;

(i क) आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य), दिल्ली;”;

- (ii) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

क्र. सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
“(6)	(i) मुम्बई पत्तन ; (ii) इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, मुलुन्द; (iii) महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों के अधिकार में आने वाले क्षेत्र : मुम्बई शहर, मुम्बई उपनगर, पालघर, थाणे और रायगढ़; (iv) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य मुम्बई जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-I) मुम्बई, जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-I) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-II), मुम्बई, जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-II) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;
		आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-I), मुम्बई, जोन-I.	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-I) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों;

	आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-II), मुम्बई, जोन-I	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-II) मुम्बई जोन-I के नियंत्रण में काम कर रहे हों।”;
--	--	--

(iii) क्रम सं. 7 के समक्ष, कॉलम (2) में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा :—

“(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक जोन जो कि महाराष्ट्र राज्य की आधार रेखा के सामने और जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के तहत बढ़ाकर लागू किया गया है।”;

(iv) क्रम सं. (9) के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि को पुनः मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक जोन जो कि महाराष्ट्र राज्य की आधार रेखा के सामने और जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के तहत बढ़ाकर लागू किया गया है।”;

(v) क्रम सं. (11) के समक्ष, कॉलम (2) में मद (ii), के पश्चात निम्नलिखित में अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(iii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक जोन जो कि पश्चिम बंगाल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की आधार रेखा के सामने और जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के तहत बढ़ाकर लागू किया गया है।”;

(vi) क्रम सं. (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

क्र.सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)

<p>“(12)</p> <p>(i) चेन्नई पत्तन, एन्नोर पत्तन (कामराजार पत्तन), लघु पत्तन कट्टूपल्ली, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वे क्षेत्र जो कि चेन्नई निगम के अंतर्गत आते हैं और तिरुवेल्लूर जिले का अम्बात्तुर, गुम्मीडिपून्डी, पूनामल्ली और पोन्नेरी ताल्लुक, ताम्बरम ताल्लुक और इन्लैण्ड कंटेनर डिपो जो कि कांचीपुरम जिले के श्रीपेरुम्बदूर ताल्लुक में स्थित है;</p> <p>(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।</p> <p>(iii) चेन्नई विशेष आर्थिक जोन</p>	<p>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), पत्तन, चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), एयरपोर्ट, चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (II), चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (II), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>आयुक्त, सीमा शुल्क (IV), चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (IV), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>आयुक्त, सीमा शुल्क (VI), चेन्नई;</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (VI), चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई।</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों;</p>
	<p>आयुक्त, सीमा शुल्क, (VIII)</p>	<p>अपर आयुक्त, या संयुक्त</p>

	(सामान्य), चेन्नई	आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (VIII), (सामान्य) चेन्नई के नियंत्रण में काम कर रहे हों”;
--	-------------------	--

(vii) क्रम सं. (14) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(i) कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड़, कोडुगू, हसन, चिकमंगलूर, शिमोगा, बेलगांव, बीजापुर, उडुपी, गडग, धारवाड़, कोप्पल, बेल्लारी, रायचुर, बगलकोट, गुलबर्गा, बीदर और यादगीर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें मंगलोर पत्तन का सम्पूर्ण क्षेत्र भी आता है;

(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि कर्नाटक राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया”;

(viii) क्रम सं. (17) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

क्र. सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
“(17)	(क) तमिलनाडु राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र उनको छोड़कर जो निम्नलिखित के अधिकार क्षेत्र में आते हैं - (i) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (I), पत्तन, चेन्नई; (ii) आयुक्त, सीमा शुल्क (II) चेन्नई; (iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (III), चेन्नई; (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (IV), चेन्नई; (iv क) आयुक्त सीमा शुल्क (VI), चेन्नई; (v) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (VII) एयर कार्गो काम्प्लेक्स, चेन्नई;	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचिरापल्ली।	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचिरापल्ली के नियंत्रण में काम कर रहे हों।”;

	<p>(vi) आयुक्त सीमा शुल्क (VIII) (सामान्य), चेन्नई;</p> <p>(ख) माहे कम्पून और यमन क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र;</p> <p>(ग) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।</p>		
--	---	--	--

(ix) क्रम सं. (18) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(i) तूतीकोनि पोर्ट और वे क्षेत्र जो तूतीकोरिन जिले में आते हैं;

(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।”;

(x) क्रम सं. (19) और (20) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

क्र. सं.	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
“(19)	<p>(क) कोचीन पत्तन, कोचीन एयर पोर्ट, कोचीन विशेष आर्थिक जोन और वे सीमा शुल्क कार्यालय जो कि बृहद कोचीन विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।</p> <p>(ख) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल</p>	आयुक्त, सीमा शुल्क, कोचीन	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप- आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क, कोचीन के नियंत्रण में काम कर रहे हों;

	शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि केरल राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।		
(20)	निम्न का सम्पूर्ण क्षेत्र— (i) केरल राज्य; (ii) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप; (iii) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे कम्यून (iv) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि केरल राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।	आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन	अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उप- आयुक्त, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जो कि आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन के नियंत्रण में काम कर रहे हों”;

(xi) क्रम सं. (21) के समक्ष, कॉलम (2) में मद (ग) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(ख) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि गुजरात राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।”;

(xii) क्रम सं. (22) के समक्ष, कॉलम (2) में, मद (i) और (ii), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(i) गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर (दासदा तालुक को छोड़कर), राजकोट, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ के जिलों के सभी क्षेत्र;

(ii) दमन और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र का द्वीव ।

(iii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि गुजरात राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क

अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।”;

- (xiii) क्रम सं. (23) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुनः मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और ऐसे पुनः लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा :—

“(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि गुजरात राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।”;

- (xiv) क्रम सं. (27) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुनः मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुनः लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा :—

“(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि उड़ीसा राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।

- (xv) क्रम सं. (29) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(i) आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैरूयाराम गांव स्थित कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कासिमकोटा मण्डल, विशाखापत्तनम जिला, विशाखापत्तनम, विशेष आर्थिक जोन और क्षेत्र जो कि विशाखापत्तनम के बृहद विशाखापत्तनम नगर निगम के अंतर्गत आते हैं;

(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।

- (xvi) क्रम सं. (30) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुनः मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुनः लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(ii) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का यनम जिला;

(iii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क



अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया।”;

(xvii) क्रम सं. (31) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुनः मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुनः लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया” ;

(xviii) क्रम सं. (32) के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि को पुनः मद (i) के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार पुनः लिखे गए मद (i) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(ii) भारत का वह महाद्विपीय जल सीमा क्षेत्र (कांटेनेंटल शेल्फ) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि गोवा राज्य के आधार सीमा के सामने है जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 को बढ़ाकर लागू किया गया”.

[फा.सं. 450/100/2017 – सीमा शुल्क-IV]

(जुबैर रियाज)  
निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 119/2017-सीमा शुल्क, (गै.टे.), दिनांक 26 दिसम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1589 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है।